राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3842/2024

रूडमल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. भूपेन्द्र शर्मा, उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पांच्यावाला, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2024
आदेश की दिनांक : 24.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में दिनांक 13.10.2022 से व्याख्याता भूगोल के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पांच्यावाला, जयपुर के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पांच्यावाला, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चंदवाजी, जयपुर ग्रामीण में अधिशेष के आधार पर स्थानांतरित/समायोजित किया गया है। अपीलार्थी के वर्तमान विद्यालय को दिनांक 23.03.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया गया है और आदेश दिनांक 26.4.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा छात्रों के लिए 3 वैकल्पिक विषय इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल को मंजूरी दी गई। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अधिशेष शिक्षक के समायोजन के संबंध में दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा कुछ निर्देश जारी किए, जिसके प्रासंगिक पैरा 1 (2) में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 13.04.2015 के दिशा–निर्देशों के अनुसार नए अपग्रेड किए गए स्कूल के लिए पदों को स्वीकृत माना जाना चाहिए, भले ही उपरोक्त के अनुसार पद अभी भी स्वीकृत न हुए हों। प्रत्यर्थी विभाग ने शाला दर्पण की सूचना के आधार पर अपीलार्थी को तकनीकी रूप से अधिशेष घोषित किया, बिना उपरोक्त

दिशा–निर्देशों पर विचार किए और बिना सोचे–समझे विवादित आदेश जारी कर दिया (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी ने स्कूल अपग्रेड करने के बाद दिनांक 10.10.2022 को अपना स्थानांतरण करवाया तथा दिनांक 14.10.2022 को वर्तमान स्कूल में कार्यभार ग्रहण किया (अनुलग्नक–6 एवं 7)। अपीलार्थी ने वर्तमान विद्यालय में श्री भूपेंद्र शर्मा के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया है तथा श्री भूपेंद्र शर्मा को दिनांक 27.02.2023 को उप–प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है तथा उन्होंने दिनांक 28.2.2023 को उप–प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है तथा अब अपीलार्थी वर्तमान विद्यालय में भूगोल विषय का एकमात्र व्याख्याता है (अनुलग्नक–8 एवं 9)। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 10.10.2022 के आदेश को चुनौती दी और स्थगन आदेश प्राप्त किया, लेकिन स्थगन के बाद वह उप–प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत हो गया और उसी पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा उक्त अपील का भी निपटारा किया गया। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अब उप–प्रधानाचार्य का वर्तमान पद अपीलकर्ता के स्थान पर अधिशेष है। अपीलार्थी का स्थानांतरण जिले से बाहर जयपुर शहर अर्थात जयपुर ग्रामीण में हुआ है, जबकि जयपुर शहर में ही मुडियारामसर और निमेड़ा में भूगोल व्याख्याता का पद रिक्त है (अनुलग्नक–10)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पांच्यावाला, जयपुर में भूगोल के व्याख्याता के पद पर कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश

अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य